न्यूज़ टुडे

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'रोजगार से संबद्ध प्रोत्साहन (ELI) योजना' को मंजूरी दी

ELI योजना की घोषणा **केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधान मंत्री की पांच योजनाओं के पैकेज** के तहत की गई थी। इन योजनाओं का उद्देश्य **रोजगार, कौशल विकास और अवसरों को बढ़ावा** देना है।

रोजगार से संबद्ध प्रोत्साहन (ELI) योजना के बारे में

- **मंत्रालय:** श्रम और रोजगार मंत्रालय।
- **कुल परिव्यय:** 2 वर्षों (2025 – 2027) में 99,446 करोड़ रुपये।
- **लक्ष्य:** 3.5 करोड़ नौकरियों के सृजन को समर्थन प्रदान करना, जिनमें 1.92 करोड़ पहली बार रोजगार से जुड़ने वाले कर्मचारी शामिल होंगे।
- **उद्देश्य:** रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि करना तथा विशेषकर विनिर्माण सहित सभी क्षेत्रकों में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

योजना की संरचना: ELI योजना में दो भाग शामिल हैं

भाग A: पहली बार रोजगार से जुड़ने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन

- **पात्रता:** EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में पहली बार पंजीकृत कर्मचारी और 1 लाख रुपये/ माह तक के वेतन वाले कर्मचारी।
- **प्रोत्साहन राशि: एक माह का EPF वेतन** (15,000 रुपये तक), दो किस्तों में दिया जाएगा:
  - **प्रथम:** 6 महीने तक लगातार नौकरी करने के बाद।
  - **दूसरा:** 12 महीने की नौकरी के बाद तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के सफल समापन के बाद।
- **बचत प्रावधान:** इस प्रोत्साहन राशि का एक भाग बचत योजना में लॉक-इन पीरियड के साथ जमा होगा, ताकि बचत की आदत विकसित हो।
- **लाभार्थी:** पहली बार नौकरी करने वाले 1.92 करोड़ कर्मचारी।
- **भुगतान प्रणाली: आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (ABPS)** के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)।

भाग B: नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन

- **फोकस: सभी क्षेत्रक, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्रक** में अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना।
- **पात्रता:** EPFO में पंजीकृत कंपनियां, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करें:
  - **कम-से-कम 2 अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करें** (50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए)।
  - **कम-से-कम 5 अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करें** (50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए)।
- **नियोक्ताओं को प्रोत्साहन: 2 वर्षों के लिए 3,000 रुपये प्रतिमाह** तक; इसे विनिर्माण क्षेत्रक के लिए **4 वर्षों** तक बढ़ाया गया है।
- **एक निर्धारित रोजगार अवधि:** नौकरी पर रखे गए प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए **छह माह** का निरंतर रोजगार।
- **वेतन आधारित सीमा:** 1 लाख रुपये/ माह तक कमाने वाले कर्मचारी।
- **रोजगार सृजन:** लगभग 2.6 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां।
- **भुगतान:** सीधे **पैन से लिंक्ड खाते में।**

राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी

यह नीति मौजूदा **राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी।** मौजूदा नीति का उद्देश्य **राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेलों की क्षमता का उपयोग** करना है।

- भारत की पहली **राष्ट्रीय खेल नीति (NSP), 1984** में लागू की गई थी।

राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025 का महत्त्व

- भारत की सॉफ्ट पावर और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करना।
- भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना और 2036 ओलंपिक की मजबूत दावेदारी करना।
- विकसित भारत के सिद्धांतों के अनुरूप जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा उपयोग करना।

राष्ट्रीय खेल नीति (NSP), 2025 या खेलो भारत नीति के 5 मुख्य स्तंभ

- **वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता:** इसमें **जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर** तक खेल कार्यक्रमों को मजबूत करना; **राष्ट्रीय खेल महासंघ** की क्षमता एवं प्रशासन को बेहतर बनाना आदि शामिल हैं।
- **आर्थिक विकास: खेल पर्यटन, स्टार्ट-अप्स और उद्यमिता** के माध्यम से खेलों की **आर्थिक क्षमता को बढ़ावा** देना आदि।
- **सामाजिक विकास:** महिलाओं, कमजोर वर्गों आदि की भागीदारी के माध्यम से **सामाजिक समावेशन** सुनिश्चित करना।
- **एक जन आंदोलन के रूप में खेल:** आम जन की भागीदारी को बढ़ावा देना, फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देना, खेल सुविधाओं तक हर एक की पहुंच सुनिश्चित करना आदि।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ एकीकरण:** इसमें **खेलों को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल** करना, शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना आदि शामिल है।

भारत और खेल

- **संविधान:** खेल संविधान की **सातवीं अनुसूची** के अंतर्गत **'राज्य सूची'** का विषय हैं।
- **मंत्रालय:** युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (MYAS) जिसमें दो अलग-अलग विभाग हैं, अर्थात युवा कार्यक्रम विभाग और खेल विभाग।
- **प्रमुख निकाय:** भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) की स्थापना 1984 में खेल विभाग के अंतर्गत सोसायटी अधिनियम, 1860 के अंतर्गत की गई थी।
- **सरकारी योजनाएं:** टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) 2014, खेलो इंडिया (2017), फिट इंडिया मूवमेंट (2019), आदि।

रणनीतिक फ्रेमवर्क

- **गवर्नेंस:** यह कानूनी फ्रेमवर्क सहित एक **मजबूत विनियामक प्रणाली** ढांचे के माध्यम से किया जाएगा।
- **निजी क्षेत्रक द्वारा वित्त-पोषण एवं सहायता:** इसमें **सार्वजनिक निजी भागीदारी और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व** जैसे वित्त-पोषण के नवीन तंत्रों का उपयोग किया जाएगा।
- **अन्य:** इसमें **AI और डेटा एनालिटिक्स, राष्ट्रीय स्तर की निगरानी रूपरेखा** आदि सहित **उभरती प्रौद्योगिकियों** का उपयोग करना शामिल है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना' को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने **1 लाख करोड़** रुपये के बजट के साथ **RDI योजना** को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से **सनराइज और आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक हित व आत्मनिर्भरता** जैसे क्षेत्रकों में **निजी क्षेत्रक को अनुसंधान, नवाचार एवं नई तकनीकों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित** करना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **उद्देश्य:** निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु **कम/ शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के लिए दीर्घकालिक वित्त-पोषण या पुनर्वित्त** प्रदान करना।
- **मुख्य उद्देश्य**
  - ऐसी नई और बदलाव लाने वाली तकनीकी परियोजनाओं को वित्त-पोषित करना, जो **विकास के अंतिम चरण** में हों। साथ ही, जल्द ही **व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल के लिए तैयार** हों।
  - **महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों को हासिल करने में सहायता करना।**
  - **डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स** की स्थापना में सहायता करना।
- **दो-स्तरीय वित्त-पोषण तंत्र**
  - **विशेष प्रयोजन निधि (SPF): अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF)** के भीतर स्थापित करना। यह **निधियों के संरक्षक** के रूप में कार्य करेगी।
    - **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को ANRF अधिनियम 2023** के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा देना, विकसित करना व संवर्धन करना है।
    - **विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB)** को ANRF में समामेलित कर दिया गया है।
  - **द्वितीय स्तर के निधि प्रबंधक: SPF से प्राप्त धनराशि को दीर्घकालिक रियायती ऋण या इक्विटी फंडिंग (स्टार्ट-अप के लिए)** के रूप में यहां आवंटित किया जाएगा।
- **रणनीतिक दिशा:** इसे **ANRF का गवर्निंग बोर्ड** तय करेगा, जिसकी अध्यक्षता **प्रधान मंत्री** करेंगे।
- **नोडल विभाग:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग।

इस योजना के प्रभाव

फंड की कमी को दूर करना
निजी क्षेत्रक में अनुसंधान और नवाचार के लिए जो धन की कमी होती है, उसे यह योजना दूर करेगी।

तकनीक अपनाने को बढ़ावा देना
तकनीक को अपनाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

विकास हेतु पूंजी उपलब्ध कराना
नई और महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए आवश्यक पूंजी मिल सकेगी।

सनराइज सेक्टर के बारे में

- "सनराइज सेक्टर" वे क्षेत्रक होते हैं, जो अभी विकासशील हैं लेकिन भविष्य में तेजी से बढ़ने की संभावना रखते हैं।
- **उदाहरण:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य देखभाल व फार्मास्यूटिकल्स, आदि।

1 जुलाई 2024 को लागू हुए नए आपराधिक कानूनों का एक वर्ष पूरा हुआ

इन कानूनों को लागू करने का उद्देश्य न्याय प्रणाली को न केवल किफायती, सुलभ और पहुंच योग्य बनाना है, बल्कि इसे सरल, सुसंगत तथा पारदर्शी भी बनाना है।

- **पुराने ब्रिटिश कालीन कानूनों की जगह नए कानून:**
  - भारतीय दंड संहिता (IPC, 1860) की जगह **भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)** ने ली है।
  - दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC, 1973) की जगह **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)** ने ली है।
  - भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) की जगह **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA)** ने ली है।

पिछले एक साल में हुए प्रमुख सुधार

- **प्रौद्योगिकी-आधारित न्याय प्रणाली:**
  - **ई-साक्ष्य और ई-समन्स:** इन्हें **11 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों** में लागू किया गया है।
  - **न्याय श्रुति:** यह अदालतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही सुनने में सक्षम बनाती है। इसे 6 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।
  - **क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) नेटवर्क:** इससे 14,000 से अधिक पुलिस स्टेशन जुड़े हैं, तथा 22,000 अदालतें ऑनलाइन हुई हैं।
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: 23 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% क्षमता निर्माण कार्य पूरा** कर लिया है।
- **12 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों** ने सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में अपनाया है।

नए आपराधिक कानूनों (BNS, BNSS और BSA) को लागू करने में चुनौतियां

- **पर्याप्त अवसंरचना की कमी:** उदाहरण के लिए- कई पुलिस थानों, अदालतों और जेलों में **इंटरनेट एवं डिजिटल उपकरण नहीं हैं।**

नए कानूनों में मुख्य परिवर्तन प्रमुख प्रावधानों का अवलोकन

किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाना
अब कोई भी व्यक्ति **किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज** करा सकता है, भले ही अपराध उस थाना क्षेत्र में हुआ हो या नहीं। इससे **पीड़ित को न्याय तक पहुंचने में आसानी होगी और क्षेत्रीय सीमा की बाधा समाप्त** होगी।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कुछ अपराधों में मृत्युदंड
कुछ विशिष्ट अपराधों पर अब मृत्युदंड लागू होगा, जो दर्शाता है कि कानून **कमजोर आबादी, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को कितनी गंभीरता** से देखता है।

नए अपराधों को शामिल किया गया
आतंकवादी कृत्यों सहित अब ऐसे अपराधों को भी कानून में जोड़ा गया है, जो भारत की **संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ** हैं। इससे **राष्ट्र की सुरक्षा** को मजबूती मिलेगी तथा **नए प्रकार के खतरों से निपटने** में मदद मिलेगी।

मॉब लिंचिंग और स्नैचिंग
अब **मॉब लिंचिंग और स्नैचिंग को विशेष अपराध** माना गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे गंभीर मामलों में **सख्त कानूनी कार्रवाई** हो।

- **BNSS न्याय के लिए समय-सीमा तय करता है, लेकिन इसका प्रवर्तन कमजोर है:** उदाहरण के लिए- पुलिस और जिला न्यायपालिका में **22% पद रिक्त हैं।** इससे समय-सीमा पूरी करना मुश्किल हो रहा है।
- **BNSS और BSA फोरेंसिक पर जोर देते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी है: प्रशासनिक स्टाफ में 47% और वैज्ञानिक स्टाफ में 49% पद रिक्त हैं,** जिससे फोरेंसिक परीक्षण प्रभावित होता है।

BNS और BNSS पर सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय

- **वाद: री-इनह्यूमन कंडीशंस इन 1382 प्रिज़न्स बनाम महानिदेशक, कारागार:** BNSS की **धारा 479 (विचाराधीन कैदियों की हिरासत)** को भूतलक्षी प्रभाव से (Retrospective) लागू किया जा सकता है।
- **वाद: बादशाह माजिद मलिक बनाम प्रवर्तन निदेशालय:** आरोपी ने BNSS के अनुसार अधिकतम सजा का एक-तिहाई हिस्सा जेल में बिताया था। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसे PMLA के तहत **जमानत** दे दी।
- **वाद: री-इनह्यूमन कंडीशंस इन 1382 प्रिज़न्स:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जेल अधिकारियों को **BNSS की धारा 479 के तहत रिहाई के लिए पात्र महिला कैदियों की पहचान** करनी होगी।

वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के 50 वर्ष पूरे हुए

इस कन्वेंशन का विचार सबसे पहले **1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)** की बैठक में आया था। यह 1975 में लागू हुआ और यह अपनी तरह का पहला वैश्विक समझौता था।

CITES के बारे में

- **उद्देश्य:** यह सरकारों के बीच एक **स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता** है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **वन्य जीवों और पादपों के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा** न बने।
  - यह **लाइसेंसिंग प्रणाली** के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर **कुछ नियंत्रण** स्थापित करता है, जिसमें **आयात, निर्यात, पुनः निर्यात** आदि सभी शामिल हैं।
- **सचिवालय:** इसे **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड)** से संचालित किया जाता है।
  - संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, CITES **सचिवालय को वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग** प्रदान करता है।
- **पक्षकार (Parties):** इसमें 185 देश या क्षेत्रीय आर्थिक संगठन शामिल हैं। **भारत ने 1976 में इसकी अभिपुष्टि** की थी।
  - हालांकि CITES **सभी पक्षकारों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी** है, लेकिन यह किसी देश के राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेता है, बल्कि प्रत्येक देश इसे अपने **राष्ट्रीय कानूनों** के जरिए लागू करता है।
- **कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (CoP):** यह CITES का **निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय** है। **CoP-3 (तीसरी बैठक) 1981 में नई दिल्ली** में आयोजित हुआ था।
- **CITES ट्रेड डाटाबेस:** इसे CITES **सचिवालय** की ओर से **UNEP का वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर (UNEP-WCMC)** संचालित करता है।

CITES परिशिष्ट
(प्रजातियों को उनकी सुरक्षा के स्तर के आधार पर 3 परिशिष्टों में सूचीबद्ध किया गया है)

परिशिष्ट-I:	परिशिष्ट-II:	परिशिष्ट-III:
इसमें ऐसी प्रजातियां शामिल हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं और केवल बहुत विशेष मामलों में ही इनके व्यापार की अनुमति है।	ऐसी प्रजातियां जो अभी लुप्तप्राय नहीं हैं, लेकिन उनके व्यापार को नियंत्रित करना भी जरूरी है, ताकि वे भविष्य में खतरे में न पड़ें।	ऐसी प्रजातियां जिन्हें कम-से-कम एक देश ने संरक्षित घोषित किया है और उसने अन्य CITES सदस्य देशों से इन प्रजातियों के व्यापार नियंत्रण में मदद मांगी है।

CITES की मुख्य पहलें:

- CITES **40,900 से अधिक प्रजातियों की सुरक्षा** करता है, जिनमें **6,610 जानवरों** की प्रजातियां और **34,310 पादपों** की प्रजातियां शामिल हैं।
- **MIKE कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम **1997 में जिम्बाब्वे के हरारे में हुई 10वीं CoP बैठक** में पारित एक प्रस्ताव के तहत शुरू किया गया था।
  - इसका उद्देश्य **अफ्रीका और एशिया में हाथियों के अवैध शिकार** की प्रवृत्तियों की निगरानी करना है। यह **साइट-आधारित प्रणाली** पर कार्य करता है।
- **अन्य पहलें:** वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (ICCWC), 2010; CITES ट्री स्पीशीज प्रोजेक्ट, 2024 आदि।

अन्य सुर्खियां

कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (CNPNs)

दूरसंचार विभाग (DoT) ने **कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (CNPNs)** की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही, CNPN बैंड की पहचान के लिए **सरल संचार पोर्टल** पर एक मॉड्यूल लॉन्च किया है।

CNPNs के बारे में:

- **अर्थ:** CNPN एक **स्थलीय वायरलेस दूरसंचार नेटवर्क** होता है, जिसे **निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र** के भीतर सिर्फ **निजी उपयोग** के लिए स्थापित किया जाता है।
  - यह **सार्वजनिक मोबाइल नेटवर्क** से अलग होता है, जिसे **टेलीकॉम कंपनियां संचालित** करती हैं और यह **सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता** है।
  - CNPNs किसी **निजी संस्था द्वारा संचालित** किए जाते हैं और **सामान्य जनता के लिए उपलब्ध नहीं** होते, इसलिए **इनका उपयोग व्यावसायिक दूरसंचार सेवाएं देने के लिए नहीं किया** जाता।
- **महत्त्व:** यह नेटवर्क कंपनियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है; इसमें डेटा, सुरक्षा और नेटवर्क पर पूरा नियंत्रण रहता है; यह उद्योगों के लिए अनुकूलित (टेलरमेड) समाधान प्रदान करता है।

क्वाड (Quad) विदेश मंत्रियों की बैठक

क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक **वाशिंगटन (USA)** में संपन्न हुई।

मुख्य बिंदु:

- इसमें **एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत के लिए** मजबूत समर्थन की पुष्टि की गई तथा **बलपूर्वक या दबाव डालकर क्षेत्रीय यथास्थिति में किसी भी बदलाव** को खारिज किया गया।
- **एक नई कार्य सूची की शुरुआत की गई, जिसमें कुछ प्रमुख क्षेत्रकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:** समुद्री और सीमा-पार सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला, उभरती हुई प्रौद्योगिकियां, मानवीय सहायता और आपातकालीन प्रतिक्रिया आदि।
- **आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा** की गई, विशेष रूप से **अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले** की।
- **क्षेत्रीय वार्ता मंचों का समर्थन किया गया, जैसे:** आसियान (ASEAN) की केंद्रीय भूमिका और एकता; पैसिफिक आइलैंड्स फोरम और प्रशांत क्षेत्र द्वारा संचालित अन्य प्रयास, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन (IORA)।

क्वाड क्या है?

- **'क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (QSD)'** के नाम से जाना जाने वाला क्वाड **एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच** है।
- **इसमें चार देश शामिल हैं:** अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान।

सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CD)

सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों द्वारा CD जारी करने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है —यह **2022 में 6% थी, जो 2024 में बढ़कर 69%** हो गई है।

CD के बारे में:

- **अर्थ:** यह एक नेगोशिएबल मनी मार्केट साधन है, जिसे बैंक या पात्र वित्तीय संस्थान द्वारा एक निर्धारित समय अवधि के लिए जमा राशि के विरुद्ध डी-मैट के रूप में जारी किया जाता है।
  - इसे **फेस वैल्यू (मूल्य) से कम कीमत** पर जारी किया जाता है।
- **जारी करने वाले:**
  - सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्रीय बैंक को छोड़कर)।
  - कुछ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (FIs) जिन्हें RBI द्वारा अल्पकालिक संसाधन जुटाने की अनुमति प्राप्त है।
- **जिन्हें जारी किया जा सकता है:**
  - व्यक्तियों, कॉर्पोरेशन, कंपनियों (बैंकों सहित) ट्रस्ट, फंड, एसोसिएशन।
  - अनिवासी भारतीयों (NRIs) को भी, लेकिन केवल गैर-प्रत्यावर्तन योग्य आधार (non-repatriable basis) पर।
- **जारी करने के दिशा-निर्देश:** वर्तमान में **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

प्रोजेक्ट 17A

INS उदयगिरी, जो प्रोजेक्ट 17A के स्टील्थ फ्रिगेट्स में दूसरा युद्धपोत है, भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया।

प्रोजेक्ट 17A

- यह परियोजना शिवालिक क्लास (प्रोजेक्ट 17) फ्रिगेट्स का अगला चरण है, जो पहले से सेवा में सक्रिय हैं।
  - **फ्रिगेट** एक **बहु-भूमिका वाला युद्धपोत** होता है। इसका उपयोग समुद्र में अन्य युद्धपोतों या हवाई खतरों से बेड़े (जैसे विमान वाहक, विध्वंसक आदि) की सुरक्षा के लिए किया जाता है।
- **प्रोजेक्ट 17A के जहाजों** की विशेषताएं- **बेहतर स्टील्थ और अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस,** जो प्रोजेक्ट 17 क्लास की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नति है।
- ये मल्टी-मिशन फ्रिगेट्स हैं, जो **'ब्लू वॉटर' वातावरण (गहरे समुद्रों) में संचालन करने में सक्षम हैं,** और भारत के समुद्री हितों वाले क्षेत्रों में **पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों तरह के खतरों** से निपट सकते हैं।

ऑपरेशन मेलन (Operation MELON)

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने डार्कनेट के जरिए चल रहे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसे 'ऑपरेशन मेलन' नाम दिया गया।

ऑपरेशन मेलन के बारे में:

- **जब्त की गई वस्तुएं:** LSD ब्लॉट्स, केटामाइन, और क्रिप्टोकरेंसी।
  - LSD (लिसेर्जिक एसिड डाइ एथाइलामाइड) और केटामाइन दोनों बेहद शक्तिशाली 'हेल्यूसिनोजेनिक' (भ्रम पैदा करने वाली) ड्रग्स हैं।
    - **हेल्यूसिनोजेन** वे साइकोएक्टिव पदार्थ होते हैं जो व्यक्ति की **देखने, सुनने, चखने, सूंघने और महसूस करने की क्षमता** को बदल सकते हैं, साथ ही **मूड और सोच** को भी प्रभावित करते हैं।
  - केटामाइन एक **ओपिऑइड (मादक) नहीं** है, यह एक NMDA **रिसेप्टर एंटागोनिस्ट** होता है, जिसका अर्थ है कि यह मस्तिष्क में एन-मिथाइल-डी-एस्पर्टेट (NMDA) न्यूरोट्रांसमीटर को अवरुद्ध करता है।
- **अन्य खोज:** अधिकारियों ने TAILS OS का भी पता लगाया — यह एक विशेष **ऑपरेटिंग सिस्टम है,** जिसका उपयोग **डार्कनेट मार्केट्स तक पहुंचने** के लिए किया जाता है।

टर्बियम

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के वैज्ञानिकों ने लीवर के कैंसर की पहचान के लिए **एक चमकने वाला पेपर सेंसर** विकसित किया है।

- यह **β-ग्लूकुरोनिडेज** नामक एंजाइम की उपस्थिति का पता लगाने के लिए **टर्बियम** की हरी चमक का उपयोग करता है। **β-ग्लूकुरोनिडेज** लीवर कैंसर के लिए एक महत्वपूर्ण बायोमार्कर है।

टर्बियम के बारे में

- यह आवर्त सारणी के **लेन्थेनाइड समूह** का एक **रेयर-अर्थ मेटल** है।
- **स्वरूप:** यह एक **नरम और चांदी जैसी चमक वाली** धातु है।
- **उपस्थिति:** इसे **मोनाजाइट** और **बैस्टनेसाइट** खनिजों से प्राप्त किया जा सकता है।
  - यह **यूक्सेनाइट** से भी प्राप्त होता है, जो 1% या अधिक टर्बियम युक्त एक जटिल ऑक्साइड है।
- **अनुप्रयोग:**
  - ठोस अवस्था वाले उपकरणों में।
  - कम ऊर्जा वाले बल्ब और मर्करी लैंप में।
  - मेडिकल एक्स-रे की सुरक्षा में।
  - लेजर उपकरणों में।

भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (SECI)

SECI ने 60 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विद्युत खरीद समझौते (PSAs) निष्पादित किए।

SECI के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे 2011 में **राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन** के लिए स्थापित किया गया था।
- यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के तहत एक **नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम** है।
- यह MNRE की योजनाओं के लिए **नामित नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी (REIA)** है।
- यह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) के अधीन **श्रेणी-I (सबसे उच्च) विद्युत व्यापार लाइसेंसधारी** के रूप में कार्य करता है।
- **विशेष कार्यक्रमों और क्षेत्रीय मॉडल्स का कार्यान्वयन:**
  - द्वीपों को हरित बनाना (जैसे लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार)।
  - ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ग्रिड से जुड़ी क्षमता का विकास (जैसे लद्दाख में प्रस्तावित 5 गीगावाट क्षमता)।

मड वोल्केनो

हाल ही में, ताइवान में एक **मड वोल्केनो** में विस्फोट हुआ।

मड वोल्केनो के बारे में

- **निर्माण:** इसका निर्माण प्रविष्ठन क्षेत्र यानी **सबडक्शन जोन** में होता है। जब पृथ्वी की एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, तो यह अभिसारी बिंदुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चली जाती है। इसी से **मड वोल्केनो** का निर्माण होता है।
  - **मड वोल्केनो** का निर्माण **प्राकृतिक रूप से** या **मानवीय गतिविधियों** (जैसे खनन या गैस ड्रिलिंग) से भी हो सकता है।
- **स्वरूप:** यह पहाड़ी या टीले के आकार का होता है।
- **विस्फोट:** इसमें विस्फोट पृथ्वी की **टेक्टोनिक गतिविधियों** या **बड़ी नदियों के डेल्टा में जमा गाद/ रेत के दबाव** के कारण होता है।
  - इसमें अक्सर **मीथेन** जैसी गैसें निकलती हैं।
- **पारंपरिक आग्नेय ज्वालामुखियों से भिन्न:** इसमें **लावा या राख** नहीं निकलती, इसलिए यह पारंपरिक ज्वाला युक्त ज्वालामुखियों से अलग होता है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

थाईलैंड (राजधानी: बैंकॉक)

थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने नैतिकता के उल्लंघन के एक मामले में **प्रधान मंत्री को निलंबित कर दिया** है।

भौगोलिक अवस्थिति

- **स्थलीय सीमाएं:** इसके उत्तर में म्यांमार, उत्तर-पूर्व में लाओस, पूर्व में कंबोडिया और दक्षिण में मलेशिया है।
- **समुद्री सीमाएं:** थाईलैंड की खाड़ी (वियतनाम) और अंडमान सागर (इंडोनेशिया और भारत) से लगती है।

भौगोलिक विशेषताएं

- मध्य थाईलैंड को अक्सर **"एशिया का धान का कटोरा"** कहा जाता है।
- **भारत-म्यांमार-थाईलैंड (IMT)** राजमार्ग भारत के मणिपुर के मोरेह को म्यांमार के रास्ते थाईलैंड के मेई सॉट से जोड़ता है।
- **मेकांग नदी:**
  - **लाओस और थाईलैंड** के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक हिस्सा बनाती है।
  - **कुख्यात 'गोल्डन ट्रायंगल' (भारत ने इसका नाम बदलकर 'डेथ ट्रायंगल' कर दिया):** यह मेकांग नदी के किनारे थाईलैंड, लाओस और म्यांमार का मिलन बिंदु है।
- थाईलैंड **प्राकृतिक रबर का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक** है।
- **क्रा इस्तमुस (दक्षिणी थाईलैंड):** मलक्का जलडमरूमध्य का संभावित विकल्प माना जाता है।